न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01/2020
दायर दिनांकः 23.11.2020
निर्णय दिनांक 21.05.2024

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, गोपाल सिंह भाटी, पुलिस उप अधीक्षक वृत कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द।
— प्रार्थी

—:बनामः—

श्री राकेश खटीक पिता सोहनलाल खटीक निवासी पीपरडा भट्टा तहसील व जिला राजसमन्द
— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री राजसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांकः 20.11.2020 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि दिनांक 21.10.2020 को रात्रि 08.00 बजे जरिये मुखबीर से सूचना मिली की पीपरड़ा भट्टा के पास. एन०एच०8 के किनारे वैशणवी ग्रेनाईट एवं सिटी ग्रेनाईट के बीच पड़े खाली गोदाम के बीच प्लॉट में स्थित एक कमरे के पीछे कुछ लोग गाडियो में अवैध तरीके से नकली/मिलावटी डीजल ईंधन के रूप में भर रहे है। वगैरा सूचना विश्वसनीय होने से मैं स्वंय मय जाब्ता श्री बलवीरसिंह हैड कानि नम्बर 654, अन्नाराम कानि नम्बर 414, राजेन्द्र कानि नम्बर 878 मय सरकारी वाहन चालक मुकेश, आवश्यक अनुसंधान सामग्री के साथ मौका स्थल पर पहुंचा, जरिये टेलिफोन जिला रसद अधिकारी राजसमन्द एवं इण्डियन ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारी व थानाधिकारी थाना राजनगर को अवगत करवाया गया। श्री विजयसिंह प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री चक्षु पंड्या प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, राजसमन्द एवं थानाधिकारी थाना राजनगर मय जाब्ता के उपस्थित आये। मौका स्थल पर गोदाम के बीचो बीच बने एक कमरे के पीछे एक 407 गाडी नम्बर आरजे 30 जीए 2313 एवं एक पिकअप नम्बर आरजे 30 जीए 1059 खड़ी दोनो वाहनो में प्लास्टिक की टंकिया रखी हो वाहन 407 से पास ही खड़े एक ट्रक नम्बर आरजे 27 जीसी 0161 में कुछ व्यक्ति ईंधन भरते हुए मिले। जो पुलिस जाब्ता को देखकर ईंधन भरने वाले व्यक्ति भाग गये उक्त भागने वाले व्यक्तियो में से जाब्ता द्वारा बमुश्किल से एक व्यक्ति को पकडा तथा मौके पर खड़े वाहन 407 एवं पिकअप में रखी प्लास्टिक की टंकियो में भरे पदार्थ की जानकारी करने हेतु मौजुद श्री

विजयसिंह प्रवर्तन अधिकारी व चक्षु पढ्या प्रवर्तन निरीक्षक राजसमन्द को नियमानुसार मौतबिर मामुर किया जाकर दोनो वाहनो की तलाश ली गई, तो वाहन 407 नम्बर आरजे 30 जीए 2313 में दो प्लास्टिक की चौकोर टंकियो रखी हो पास ही एक मीटर बॉक्स मय इनवेटर बैट्री के लगा हो तरल पदार्थ भरने की नोजल व पाँच लीटर तरल पदार्थ मापने का टीन, एक प्लास्टिक का कैन व उक्त वाहन के पीछे वाला हिस्सा पाल ढका हुआ मिला। मामुरा मौतबिरान के समक्ष वाहन 407 में रखी दोनो ही प्लास्टिक की टकियो को चौक किया तो उनमें डीजल जैसा तरल पदार्थ होना पाया गया। इसी प्रकार पास ही खडी पिकअप नम्बर आरजे 30 जीए 1059 की तलाशी ली गई तो पिकअप के पीछे एक प्लास्टिक की टंकी 2000 लीटर, टंकी के पास ही, स्टेण्ड पर एक मीटर, प्लास्टिक की बाल्टी, 5 लीटर तरल पदार्थ माप का टीन, एक लोहे की चददर का डिब्या में एक बड़ी बैट्री तथा टंकी से जुडा तरल पदार्थ भरने का नोजल पाई गई। पिकअप में रखे प्लास्टिक की टंकी में भरे तरल पदार्थ को चैक किया तो टंकी करीब आधी तरल पदार्थ से भरी हो तरल पदार्थ डीजल जैसा होना पाया गया। दोनों ही वाहनो में रखी टंकियों में भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यन्त ही ज्वलनशील पदार्थ होकर अवैध तरीके से वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाना पाया गया तथा रसद अधिकारियों द्वारा भी उक्त तरल पदार्थ को टंकीयो में से नोजल से निकालकर सुंघने, देखने व छुने पर चिकनाई युक्त वाहन ईंधन जैसा पदार्थ होना बताया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति का श्री राकेश पिता सोहनलाल खटीक उम्र 22 साल निवासी देवपुरिया द्वारा उक्त तरल पदार्थ को वाहनो में ईधन के रूप में भर कर विक्रय करने के सम्बन्ध में पुछ गया तो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज व कागजात नही होना बताया। मौके पर खड़े ट्रक नम्बर आरजे 27 जीसी 0161 को चालक श्री जगदीश पिता भैरा खटीक निवासी पडासली थाना केलवा से पुछताछ की गई तो ट्रक में ईधन के रूप में डीजल भरवाना बताया। मौके पर वाहन 407 व पिकअप में रखी प्लास्टिक की टंकियों में भरे तरल पदार्थ नकली डीजल या वाहन ईधन द्रव्य पदार्थ होने की सम्भावना होने से विक्रय अधिकारी इण्डियन ऑयल से मालुमात कर पारा ही स्थित पट्रोल पम्प से लाये गये नियमानुसार एल्युमिनीयम की छः बातलो को धोकर व सुखाकर वाहन 407 में रखी दोनो ही टंकियो से क्रमशः नमुना सेम्पल व कट्रोल सेम्पल मार्क ए, बी, सी, डी चार एल्युमिनियम की एक एक लीटर की बातलो मे लेकर बोतलो को लकड़ी के बॉक्स में रख सीलचीट किया इसी प्रकार पिकअप में रखी प्लास्टिक की टंकी से भी नियमानुसार नमुना सेम्पल व कट्रोल सेम्पल दो एल्युमिनियम की एक एक लीटर की बोतलों में लेकर दोनो को अलग–अलग लकड़ी के बॉक्स में रख शीलचीट कर मार्क ई, एफ दिया गया। वाहन 407 में रखी दोनो प्लास्टिक की टंकियों में भरे तरल पदार्थ का माप किया तो करीब 200 लीटर तरल पदार्थ व पिकअप में रखी प्लास्टिक की टंकी में करीब 1000 लीटर तरल पदार्थ होना पाया गया। दोनो ही वाहनो एवं उनमे रखे प्लास्टिक की टकियों में भरे 1200 लीटर तरल पदार्थ व अन्य सामान को जरिये फर्द मौके पर जब्त किया गया। मौके पर प्लास्टिक टकियों में रखे 1200 लीटर तरल पदार्थ के क्रम में मौके पर उपस्थित राकेश खटीक द्वारा वैध दस्तावेज एवं संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, इस पर उक्त 1200 लीटर से अधिक पाये गये तरल पदार्थ को जब्त कर थानाधिकारी, पुलिस थाना, राजनगर को सुपुर्दगी में दिया जाकर कांकरोली परिसर में रखवाया गया है। इस प्रकार राकेश खटीक का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में

न्यायालय जिला कलक्टर

आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से थाना राजनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 305/2020 दर्ज करवा दी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्लास्टिक टकियों में संग्रहित 1200 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.07.2021 तक उपस्थिति दी उसके बाद से लगातार अनुपस्थित।

राजकिय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। राजकिय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्तशुदा प्लास्टिक टकियों व अन्य सामान तथा 1200 लीटर अवैध तरल पदार्थ, अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से संग्रहित किया जाना पाया गया। जिसके बारे में अप्रार्थी के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा प्लास्टिक टकियों व अन्य सामान तथा 1200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करना फरमावे।

राजकिय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दोनो वाहन छुडवाने के बाद अपनी उपस्थिति नही दी। जिससे यह प्रतीत होता है कि जब्तशुदा प्लास्टिक टकियों व अन्य सामान तथा 1200 लीटर अवैध तरल पदार्थ, अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से संग्रहित किया गया था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा प्लास्टिक टकियों व अन्य सामान तथा 1200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ को निलाम करते हुए राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा प्लास्टिक टकियों व अन्य सामान तथा 1200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ को निलाम करते हुए राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा प्लास्टिक टकियों व अन्य सामान तथा 1200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)